From,

Kumar

Dr. Rajiv Garg, I.F.S.
Principal Chief Conservator of Forests & HoFF
Uttar Pradesh, Lucknow

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE OF THE JUDGMENT AND ORDER DATED 20.12.2019

1. That the above O.A. was filed before this Hon'ble Tribunal with the following prayers:

   a) the state may be directed to stay the entire proceedings of uprooting the said trees in question as after uprooting it will take years for the saplings to turn up to the trees and a matter of fact the Lucknow is said to be the 4th highest polluted city in India after National Capital Region,

   b) the state may be directed to conduct such exercises in other parts where city has properly build up parks of huge Gathering or even in outskirts of city,

   c) any other remedy which this Court deems fit may be granted for the public welfare of the nation.

2. That in the above O.A. this Hon'ble Tribunal was pleased to pass an order on 20.12.2019 directing the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) Uttar Pradesh, Lucknow Development Authority and Lucknow Nagar

24/9/2020
DD (H)

24/09/20
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

Nigam to furnished a factual and action taken report within one month. The Nodal agency for compliance and coordination will be the PCCF (HoFF). The operative part of the order dated 20.12.2019 is reproduced below:-

"*Grievance in this application is against proposal to remove 63,799 trees from Hanuman Setu to the Nishatganj bridge for various programmes in the Defence Expo scheduled to be held 05.02.2020 to 08.02.2020, without following due process of law.*

Let Principal Chief Conservation of Forest (HoFF), Uttar Pradesh, Lucknow Development Authority and Lucknow Nagar Nigam look into the matter and furnish a factual and action taken report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency for compliance and coordination will be the PCCF (HoFF)."

3. That it is very respectfully submitted that as soon as the above order passed by this Hon'ble Tribunal came to the notice of the deponent, the deponent as nodal agency immediately called the meeting of the concerned officials of the Lucknow Development Authority and Municipal Corporation, Lucknow on 23.09.2020.

4. That after the above joint meeting following facts came to the notice which are as under:-

a) That for the same cause of action, a PIL Civil No. 33959 of 2019 Moti Lal Yadav Vs Union of India through Secretary Ministry of Defence, New Delhi & Others were

24/9/2020

24/09/20
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

filed before Hon'ble High Court at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow with the following prayer:-

i. Issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus thereby restraining the opposite parties/competent respondents to organize three days defence Expo Program over the Gomti River Front scheduled to be held since 5 to 8 February, 2020 and further direct the opposite parties/responsible respondents not to remove/cut down 64000 trees situated over the Gomti River Front from Hanuman Setu to Nishatganj Bridge.

ii. Any other writ, order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case.

5. That in the above PIL the Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Lucknow was pleased to pass an order on 10.12.2019. The operative part of the above order dated 10.12.2019 is reproduced below:-

"..*Looking to the fact that Defense Expo-2020 is going to be commenced in Gomti river front, we direct the respondents to file their respective counter affidavit within a week from today. As larger issue of public importance including issue of environment are involved in the present writ petition, therefore, we appoint Sri Sudeep Seth, learned Senior Advocate, as Amicus Curiae for assistance of the Court on the issue.*

24/9/2020

24/09/20
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HO
Uttar Pradesh, Lucknow

Office is directed to supply a copy of memo of the writ petition and report of the Lucknow Development Authority dated 9.12.2019 as well as a copy of the instructions placed by the learned Standing Counsel dated 9.12.2019 to Sri Sudeep Seth, learned Senior Advocate, within three days. List after one week, showing the name of Sri Sudeep Seth as Amicus Curiae in the cause list."

6. That in the above writ petition a detailed counter affidavit was filed on behalf of opposite party no. 3 and 4 respectively i.e. Vice Chairman Lucknow, Development Authority, Lucknow and Lucknow Development Authority, Lucknow through its Secretary. In the above counter affidavit as regards removal of trees following averments were made before Hon'ble High Court:-

10. That on 9.12.2019 a joint team consisting of District Magistrate, Lucknow, Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Chief Development Officer, Lucknow, Municipal Commissioner, Lucknow and two officers of the rank of Colonel of Indian Army and Assistant General Manager, Hindustan Aeronautics Limited conducted a spot inspection and has successfully explored a different venue than the earlier proposed venue so as to ensure that no tree/plant is affected. The inspection report was prepared and forwarded to the Municipal Commissioner, State Government and other

24/9/2020

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ
24/9/20

Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow
24/9/20

concerned officers on 9.12.2019 by Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow.

11. That it may be stated here that in proposed/changed venue no tree/plant will be affected and therefore, there will be no need to either cut or to replace the trees/plants.

12. That it may further most humbly be submitted that the inspection report clearly reveals the proposed area with clear remark that no tree will be affected for organization of Defence Expo 2020 at newly proposed area.

13. That on 10.12.2019 this Hon'ble Court was pleased to pass the order requiring the opposite parties including the Lucknow Development Authority to file Counter Affidavit.

14. That in view of above, it may be stated that the concern shown by the petitioner in the instant writ petition is already taken care of by the Lucknow Development Authority, as also other responsible Agencies. The Lucknow Development Authority, as can be deciphered from its letter dated 4.12.2019 is conscious of the fact of affecting the trees and it was already in process of revising the layout plan/changing the venue.

15. That in view of above, it is clear in abundance that no tree will be cut, there will be no need to replace the trees and therefore, the instant writ petition deserves to be dismissed.

24/9/2020

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

7. That the above writ petition is still pending before the Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

8. That Additional Municipal Commissioner (Law) *vide* his letter no. D-571/E.E.4 dated 23.09.2020 (**Annexure No-1**) has informed that from Hanuman Setu to Nishatganj Bridge no tree has been uprooted or caused any damage for Defence Expo. It is further informed that District Administration, Lucknow Development Authority and Municipal Corporation took utmost care of trees and plants so that no damage should cause to them.

9. That subsequently, Chief Conservator of Forest, Lucknow Mandal Lucknow vide his letter no. 1441/17-1 dated 24.09.2020 (**Annexure No-2**) has informed that he has conducted an on the spot inspection and found that no tree has been removed or damaged in the said area between Hanuman Setu to Nishatganj Bridge.

24/9/2020
Authorized Officer
on behalf of Vice Chairman,
Lucknow Development Authority, Lucknow

24/09/20
Authorized Officer
on behalf of Municipal Commissioner,
Municipal Corporation Lucknow

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests
& HoFF, Forest Department,
U.P., Lucknow

Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

ANNEXURE No. 1

नगर निगम, लखनऊ

लालबाग, टी0एन0रोड, लखनऊ –226001(उ0प्र0)

ई–मेल nnlko@up.nic.in टेली–फैक्स 0522–2622440

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त(विधि)
नगर निगम, लखनऊ।

संख्या D-571/E.E.4

दिनॉक 23.09.2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ।

नत्थी..........

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–1037/2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–1037/2019 श्री शैलेन्द्र सिंह व अन्य बनाम लखनऊ डेवलपमेन्ट अर्थारिटी व अन्य में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 22.12.2019 को पारित आदेशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि डिफेन्स एक्सपो 2020 के अन्तर्गत गोमती रिवर फ्रन्ट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हनुमान सेतु से निशातगंज व्रिज तक नगर निगम, लखनऊ द्वारा किसी प्रकार के पेड़/पौधों को न ही हटाया गया है और न ही क्षतिग्रस्त किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम द्वारा कोई पेड़/पौधे क्षतिग्रस्त न हो इसकी सतत् निगरानी कर इसे सुनिश्चित किया गया है।

कृपया प्रकरण में उपरोक्त वस्तुस्थिति से मा0 न्यायाधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

23/09/20

अपर नगर आयुक्त(विधि)
नगर निगम, लखनऊ।

24/9/20

24/09/20
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

ANNEXURE-2

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

पत्रांकः 1441/17–1 दिनांकः 24 सितम्बर, 2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

CCF(CC)
24/9/20

विषयः ओ0एस0 संख्या–1037/2019 शैलेन्द्र सिंह व अन्य बनाम लखनऊ डेवलेपमेन्ट अथॉरिटी एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.12.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपके कार्यालय का पत्रांक– 79/6ई–2–एस0सी0एस0जी0टी0 दिनांक 23 सितम्बर, 2020

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ ने अपने पत्रांक– 2371/35–3(NGT) दिनांक 22 सितम्बर, 2020 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया गया है कि उक्त आयोजन हेतु प्रश्नगत स्थल से एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। इसकी पुष्टि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा स्वयं दिनांक 23.09.2020 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर अवगत कराया गया है कि आयोजन के दौरान, वर्तमान में वर्णित वृक्ष व पौधे यथावत् हैं एवं डिफेन्स एक्सपो हेतु किसी भी वृक्ष/पौधे का पातन नहीं किया गया है। संदर्भित पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 24.09.2020 को निशातगंज से हनुमान सेतु तक प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोई भी वृक्ष कटा हुआ नहीं पाया गया। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

24/9/20

भवदीय,

(आर0के0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

24/09/20
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

—:निरीक्षण टिप्पणी:—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, Principal Bench, नई दिल्ली के समक्ष ओरिजनल ऐप्लीकेशन 1037/2019 शैलेन्द्र सिंह व अन्य बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या दिनांक 23.09.2020.

डिफेन्स एक्सपो के फरवरी, 2020 में आयोजन के गोमती रिवर फ्रंट स्थित आयोजन के अनुक्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ व जनपद लखनऊ के अन्य अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अपने निरीक्षण दिनांक 09.12.2019 में शून्य दर्शायी है। उक्त निरीक्षण आख्या की पुष्टि हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज को निर्देशित किया गया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज ने अपने पत्रांक–254/35(एन.जी.टी.) दिनांक 22.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आयोजन हेतु प्रश्नगत स्थल से एक भी पेड़ (अर्थात् कोई भी वृक्ष) काटा नहीं गया है। उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु आज दिनांक 23.09.2020 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज सहित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि आयोजन के दौरान, वर्तमान में वर्णित वृक्ष व पौधे यथावत हैं व डिफेन्स एक्सपो हेतु किसी भी वृक्ष/पौधे का पातन नहीं किया गया है।

वन विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्व में भी पूर्ण निगरानी रखी गयी है। अतः निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांकः–123 /टी.सी./17–1 लखनऊ,दिनांक, 23.09.2020.

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

24/9/2020

24/09/20

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

Scanned with CamScanne

24/9/20

Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक 2371/35-3(NGT) लखनऊ, दिनॉक सितम्बर, 22, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, Principal Bench, नई दिल्ली के समक्ष ओरिजनल ऐप्लीकेशन 1037/2019 शैलेन्द्र सिंह व अन्य बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य के सम्बन्ध में जिसकी सुनवाई दिनांक 28.09.2020 को निर्धारित है।

सदर्भ Consultant Judicial-NGT(P.B.) का ई-मेल दिनांक 19.09.2020 एवं कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ का पत्रांक 969/35-3 दिनांक 21.09.2020 व इस कार्यालय का पृष्ठांकित पत्रांक 2362/35-3 दिनांक 22.09.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ का ई-मेल दिनांक 22.09.2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण एवं संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, Principal Bench, नई दिल्ली के समक्ष ओरिजनल ऐप्लीकेशन 1037/2019 शैलेन्द्र सिंह व अन्य बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य की सुनवाई दि0 28.09.2020 निर्धारित है। उक्त प्रकरण में मा0 प्राधिकरण के आदेश दि0 20.12.2019 के अनुक्रम में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा a factual and action taken report मा0 प्राधिकरण के समक्ष दाखिल की जानी है, प्रश्नगत प्रयोजन हेतु इस कार्यालय की पत्र सं0 2343/35-3 दिनांक 21.09.2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत केस में a factual and action taken report की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कष्ट करे, जिससे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जा सके है। इस क्रम में उनके स्तर से कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रश्नगत स्थल से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेन्च में योजित जनहित याचिका सं0 33959 PIL Civil of 2019 के दृष्टिगत दि0 09.12.2019 की उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसमें कार्यक्रम के दृष्टिगत कोई पेड़/पौधे प्रभावित नहीं होंगे का उल्लेख है, जो आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। साथ यह भी अवगत कराना है कि applicant(s) द्वारा दाखिल मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष Defence Expo dated 05-02-2020 to 08-02-2020 तक आयोजन हेतु लखनऊ स्थित हनुमान सेतु से निशातगंज ब्रिज तक application is against proposal to remove 63799 trees के सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 254/35(NGT) दिनांक 22.09.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है कि उक्त आयोजन हेतु प्रश्नगत स्थल से एक भी पेड़ (अर्थात कोई भी वृक्ष) काटा नहीं गया है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक- 2371 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ को उनके कार्यालय पत्रांक 969/35-3 दिनांक 21.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक 254 /35 (NGT) लखनऊ, दिनॉक सितम्बर , 22 , 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, Principal Bench, नई दिल्ली के समक्ष ओरिजनल ऐप्लीकेशन 1037/2019 शैलेन्द्र सिंह व अन्य बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य की सुनवाई दिनांक 22.09.2020 व 28.09.2020

संदर्भ आपका कार्यालय पृष्ठांकित पत्रांक 2343/35–3 दिनांक 21.09.2020

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, Principal Bench, नई दिल्ली के समक्ष शैलेन्द्र सिंह व अन्य द्वारा ओरिजनल ऐप्लीकेशन नं0 1037/2019 शैलेन्द्र सिंह व अन्य बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य Defence Expo dated 05-02-2020 to 08-02-2020 तक आयोजन हेतु लखनऊ स्थित हनुमान सेतु से निशातगंज ब्रिज तक application is against proposal to remove 63799 trees के सम्बन्ध में दाखिल की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण की सुनवाई दिनांक 22.09.2020 व 28.09.2020 को निर्धारित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त आयोजन हेतु प्रश्नगत स्थल से एक भी पेड़ (अर्थात कोई भी वृक्ष) काटा नहीं गया है। अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
शहरी।

पत्रांक– 254 / 35(NGT) दिनांकित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
शहरी।

कृपया कार्य. आख्या

Dr
प्रमु.वन.सं.
22.9-20

24/9/20

24/09/20
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

प्रा.उ.गा
24/9/20
Principal Chief Conservator of Forests & HOFF,
Uttar Pradesh, Lucknow

Scanned with CamScanner